न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नंबर 2021/152

1. गजानन्द पुत्र तोफान
2. रामफूल पुत्र तोफान
3. सीताराम पुत्र तोफान
4. काली पुत्री तोफान
5. मूली देवी पत्नि स्व0 तोफान
   समस्त जाति मीना, निवासी खेडावासनेवर, पटवार हल्का नेवर, भू0अभि0नि0 बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
6. अंजना पुत्री तोफान पत्नि अर्जुनलाल जाति मीना निवासी शेखावाटियों की ढाणी जयसिंहपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1. जगदीश पुत्र लादूराम जाति मीना निवासी ग्राम नेवर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. मॉ बाडी प्राथमिक शिक्षा केन्द्र टाटूओं की ढाणी ग्राम खेडावास नेवर जरिये अधिकृत शिक्षा सहयोगी सीमा मीना पत्नि मनीष कुमार मीना
3. रामकरण पुत्र प्रभातीलाल
4. रामकिशन पुत्र लादूराम
5. रामचन्दर पुत्र लादूराम
6. रामफूल पुत्र प्रभातीलाल
7. रामसहाय पुत्र प्रभातीलाल
8. शंकरलाल पुत्र लादूराम
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम नेवर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.06.2021 न्यायालय उप जिला कलक्टर जमवारामगढ जिला जयपुर राज0 प्रकरण संख्या 46/2021

उपस्थित–

1. श्री महावीर प्रसाद शेरावत वकील अपीलान्ट।
2. श्री मनीष पारीक वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 3 व 4 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट नं. 9 की ओर से।

संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक–23.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 14.06.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 बाबत् पत्थरगढी प्रस्तुत कर वाके ग्राम खेडावास नेवर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 544/378 रकबा 2.5037 है0 के पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 544/378 की चारो ओर की सीमाओं का सीमाचिन्ह अंकित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 14.06.2021 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 14.06.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ दिनांक 14.06.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नं. 378/504 जो कि रेस्पो0 की भूमि खसरा नं. 544/378 के पूर्वी दिशा में सीमाजोड ही है। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढद्वारा बिना पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर के पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश बिल्कुल गलत अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण एवं प्रभावित पक्षकारान् को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। सीमांकन व पत्थरगढी के सुस्थापित नियम अनुसार पडौसी काश्तकारों की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर निर्णय दिनांक 14.06.2021 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया किग्राम खेडावास नेवर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 544/378 है0 के रेस्पो0 रिकार्डेड, खातेदार काश्तकार है एवं अपीलांट का उक्त भूमि से कोई लेना-देना नहीं है। अपीलांट अपीलाधीन आराजीयात के पडौसी खातेदार काश्तकार हैं। आपसी विवाद ना हो इसलिए प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु विधिवत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर 544/378 की चारो ओर की सीमाओं का सीमाचिन्ह अंकित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 14.06.2021 को दिये गये, जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रक्रिया के तहत नियमानुसार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

शुल्क जमा कर पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को हैरान–परेशान करने की नियत से असत्य, मिथ्या बनावटी तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। फिर भी अपीलांट्स को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी भूमि मौके के अनुसार कम या ज्यादा है तो अपीलांट्स भी राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–128 के तहत् अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के आदेश की पालना में खसरा नं. 544/378 की पत्थरगढी दिनांक 05.07.2021 को विधिवत् सम्पन्न की जा चुकी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। चूंकि अपीलार्थीगण खसरा नं. 378/504 के खातेदार काश्तकार हैं। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना एकतरफा कार्यवाही कर रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खसरा नम्बर 544/378 की चारो ओर की सीमाओं का सीमाचिन्ह अंकित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 14.06.2021 को दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत खसरा नं. 544/378 के पडौसी काश्तकार–खातेदार हैं। सीमांकन व पत्थरगढी के सुस्थापित नियम अनुसार पडौसी काश्तकारों की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही की जानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पडौसी खातेदारान् को पक्षकार संयोजित कर सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार संयोजित किये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण उचित एवं विधिसम्मत् नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 14.06.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

(पुनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।